हंगरी के मानव संसाधन मंत्रालय
तथा
भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
के बीच
खेल के क्षेत्र में सहयोग पर
समझौता ज्ञापन

हंगरी का मानव संसाधन मंत्रालय तथा भारत का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (इससे आगे 'पक्षों' के रूप में संदर्भित),

अपने-अपने देश के राष्ट्रीय कानूनों और अन्य अंतरराष्ट्रीय करारों द्वारा परिभाषित शक्तियों के अनुसार,

दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा से,

निम्नानुसार समझौता करने पर सहमत हुए हैं:

1. दोनों पक्ष समानता और आपसी लाभों के आधार पर अपने-अपने देश में खेलों के विकास में योगदान देने के लिए खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

2. दोनों पक्ष अपने-अपने देश के खेल संगठनों के बीच प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

3. ओलंपिक समितियों, खेल परिसंघों, विश्वविद्यालयों, खेल विज्ञान निकायों तथा खेल सुविधाओं के नवीकरण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों को सहयोग में प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया जाएगा।

4. दोनों पक्ष खेल अवसंरचना के निर्माण, खेल सुविधाओं के प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी और अनुभवों का उपयोग करने के लिए खेल सुविधाओं के नवीकरण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग को बढ़ावा देंगे।

5. इस सहयोग में प्रतिभागी संगठन संयुक्त कार्यक्रमों की वित्तीय शर्तों तथा कार्यक्रमों की तारीख, स्थान और अंतर्वस्तु सहित किसी अन्य व्यावहारिक परिस्थिति, संभावित प्रतिभागियों तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रत्यक्ष रूप से परस्पर एक दूसरे से सहमत होंगे।

6. खेल कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां संबंधित कर्ताओं के बीच कार्यकलापों को पूरा करने में सहायता करने के लिए समन्वय और सूचना के आदान-प्रदान को आगे बढ़ावा देंगी।

7. वर्तमान समझौता ज्ञापन की व्याख्या या लागू करने के संबंध में असहमति के मुद्दों का समाधान आपसी परामर्श या राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा।

8. यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने की तारीख को प्रभाव में आ जाएगा। यह समझौता ज्ञापन पांच वर्ष के लिए वैध है और इसके कार्यान्वयन के पांच वर्ष के बाद इसे जारी रखने या इसमें संशोधन करने के विचार से दोनों पक्षों द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

9. इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में और राजनयिक माध्यमों से निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में समझौता ज्ञापन को निरसन संबंधी सूचना की प्राप्ति के छह महीने के बाद समाप्त किया जाएगा।

10. यदि इस समझौता ज्ञापन का पर्यावसान किया जाता है,इसके प्रावधान इसकी वैधता के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए जारी रहेंगे।

11. हंगरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में 17 अक्तूबर, 2013 को नई दिल्ली में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। मतभिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(दिनकर खुल्लर) सचिव (पश्चिम) विदेश मंत्रालय भारत सरकार की ओर से	(पोटर सिजार्तो) प्रधान मंत्री के कार्यालय में विदेश आर्थिक मामलों के राज्य सचिव हंगरी सरकार की ओर से